अनुसूची–14 फारम सं0 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता0.....से.....तक

जिला.....सं0.....सन् 20.....

केस का प्रकार .....

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर मेदिनीनगर।

दाखिल खारीज अपील सं0–xv-20/2015-16

गणेश यादव ... ... **अपीलार्थी**

– ब न ा म् –

संतोषी यादव ... ... **विपक्षी**

–: अ ा दे श ा :–

यह दाखिल खारीज अपीलवाद विद्वान अंचल अधिकारी, मनातू द्वारा उत्तराधिकार नामांतरण वाद सं0 143/2014–15 में दिनांक 12.01.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। उक्त आदेश के द्वारा उन्होंने ग्राम नौडीहा, थाना मनातू का खाता नं0 32, प्लौट नं0 344, 293, 305, 439, 516, 391, 380, 308, 439, 377 एवं 306, रकवा 1.81 1/3 एकड़ भूमि का विपक्षी के नाम से उत्तराधिकार नामांतरण की स्वीकृति दी गयी है। अपील अंगीकृत करते हुए विपक्षी को निबंधित डाक से सूचना निर्गत की गयी तथा निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख की मांग की गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को एकतरफा सुना।

निबंधित डाक से सूचना देने के बाद भी विपक्षी ने न तो अपना पक्ष रखा और न लिखित बहस की दाखिल किया।

अपीलार्थी का मुख्य दावा है कि ग्राम नवडीहा, थाना मनातू, जिला पलामू का खाता 32 विगत् सर्वे खतियान में शिवब्रत यादव के नाम से दर्ज है। शिवब्रत यादव का अपने पीछे एक मात्र पुत्र गणेश यादव को छोड़कर निधन हो गया जो पिता द्वारा छोड़ी गयी खाता 32 की भूमि के दखल कब्जा में आया। गणेश यादव के तीन पुत्र 1. नरसिंह यादव 2. संतोषी यादव 3. तपेश्वर यादव एवं तीन पुत्रियां 1. जाठी 2. देवनियां 3. मनिया देवी हुए। नरसिंह यादव का अपने पीछे एक मात्र पुत्र त्रिभूवन यादव को छोड़कर निधन हो गया। इस प्रकार उपर्युक्त खतियानी भूमि में सभी सातों व्यक्तियों का हिस्सा है। खतियानी भूमि का अभी तक सही तरीके से माप–जोखकर बंटवारा नहीं हुआ है। भूमि अभी संयुक्त है, इसलिए कोई भी हिस्सेदार भूमि के किसी निश्चित भाग पर दावा नहीं कर सकता है। अपीलार्थी का दावा है कि विपक्षी ने अन्य हिस्सेदारों के बिना सहमति एवं उन्हें बिना सूचना दिए चुपके से प्रश्नगत् भूमि का अंचल फिल्ड स्टाफ को मेल में लाकर अपने नाम से रकबा 1.811/3 एकड़ भूमि का उत्तराधिकार नामांतरण करा लिया है जो बिल्कूल अवैध है। सभी हिस्सेदारों का प्रश्नगत् खाता की भूमि के प्रत्येक को 1/7 हिस्सा होता है जबकि विपक्षी ने नाजायज तरीके से 1/3 हिस्सा का अंचल अधिकारी, मनातू से नामांतरण करा लिया है जबकि अंचल अधिकारी को हिस्सा बांटने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अपीलार्थी का यह भी दावा है कि हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदन दिया है कि बिक्रेता एवं क्रेता भूमि के दखल कब्जा में है जबकि यह मामला खरीद–बिक्री या उत्तराधिकार नामांतरण का नहीं अपितु मांग अलग करने का है जबकि

	अंचल अधिकारी द्वारा हल्का कर्मचारी के गलत प्रतिवेदन पर गलत तरीके से उत्तराधिकार नामांतरण का आदेश पारित किया है जो स्पष्ट रूप से अवैध है। अपीलार्थी का दावा है कि अंचल अधिकारी, मनातू द्वारा अपीलार्थी एवं अन्य हिससेदारों को बिना सूचना दिए और उन्हें अपना पक्ष रखने का बिना अवसर दिए ही उत्तराधिकार नामांतरण का आदेश पारित किया गया है जो अवैध एवं अविधिसंगत है जो निरस्त किए जाने के योग्य है। निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख एवं अभिलेख के साथ संलग्न हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम नवडीहा का खाता 32, प्लौट 344 एवं अन्य रकबा 5.45 एकड़ भूमि की जमाबंदी गणेश यादव पिता शिवब्रत यादव के नाम से चल रही है। जमाबंदीधारी गणेश यादव जीवित है जो इस वाद में अपीलार्थी है। हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि क्रय की गयी भूमि पर क्रेता दखलकार है यद्यपि कि यह मामला भूमि क्रय करने से संबंधित नहीं है। स्पष्ट है हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन गलत एवं भ्रामक है। हल्का कर्मचारी द्वारा दिए गये वंशावली के अनुसार जमाबंदीधारी गणेश महतो के तीन पुत्र 1. नरसिंह यादव 2. संतोषी यादव 3. तपेश्वर यादव दर्शाया गया है, जिसके आधार पर विपक्षी के नाम से 1/3 हिस्सा बांट कर नामांतरण आदेश पारित किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने जमाबंदीधारी/अपीलार्थी को बिना सूचना दिए और अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का बिना अवसर दिए ही अपीलार्थी की	

	जमाबंदी की भूमि का अपीलार्थी की बिना सहमति के उत्तराधिकार नामांतरण का आदेश पारित किया गया है। जमाबंदीधारी, जो अपीलार्थी है अभी जीवित है। उत्तराधिकार नामांतरण जमाबंदीधारी की मृत्यु के पश्चात् ही उसके वैद्य उत्तराधिकारियों के नाम से होता है। [illegible] मामला यदि मांग अलग करने से संबंधित हो, तभी इसके लिए सभी हिस्सेदारों की सहमति एवं आपसी बंटवारा के आधार पर ही किया जा सकता है। स्पष्ट है अंचल अधिकारी, मनातू ने बिना न्यायिक विवेक एवं क्षेत्राधिकार के हल्का कर्मचारी के गलत एवं भ्रमक जांच प्रतिवेदन के आधार पर उत्तराधिकार नामांतरण आदेश पारित किया है जो बिल्कूल अवैध है। अंचल अधिकारी, मनातू को संबंधित हल्का कर्मचारी से गलत प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांग कर उसके विरूद्ध कार्रवाई करना चाहिए। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में नामांतरण वाद सं0 143/2014–15 में अंचल अधिकारी, मनातू द्वारा दिनांक 12.01.2015 का पारित आदेश निरस्त किया जाता है। मांग पूर्ववत् चलेगा। अपीलार्थी का अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। 30.11.17 उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर मेदिनीनगर। 30.11.17 उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर मेदिनीनगर। ज्ञापांक 39 / मेदिनीनगर दिनांक 21/2/18 प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी मनातू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।	

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर मेदिनीनगर